न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नेहा गिरि, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 10/2019 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2018/00019)

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक राजाखेडा अतिरिक्त प्रभार धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर —————————— प्रार्थी।

बनाम

1. विष्णु कुमार पुत्र खचेरामल उम्र 60 वर्ष जाति वैश्य निवासी लाल बाजार कोठी धौलपुर ——————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की ओर से :– सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 30.4.2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 3.3.2019 को जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देश कि लाल बाजार धौलपुर स्थिति किसी दुकान में सिलेण्डर से आग लग गई है। प्रार्थी व प्रवर्तन निरीक्षक सैपऊ लाल बाजार धौलपुर स्थित अप्रार्थी की दुकान पर पहुंचे। मौके पर दुकान खुली हुई पायी गई तथा दुकानदार एवं अन्य लोग उपस्थित मिले। पूछताछ एवं जॉच में उपस्थित लोगों ने बताया कि दुकानदार अप्रार्थी द्वारा एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस रिफिलिंग करते वक्त दुकान में आग लग गई जिसके कारण हादसा घटित हुआ। इस सम्बन्ध में दुकानदार अप्रार्थी ने पूछताछ में बताया कि वह गैस चूल्हे की मरम्मत एवं गैस चूल्हे सम्बन्धी सहायक सामग्री के बेचने का काम करता है। आज सुबह लगभग 10.00 बजे वह छोटे सिलेण्डर (पैट्रोमेक्स) के रेग्यूलेटर को सही करने का काम कर रहा था जिसमें से गैस रिसाब के कारण पास ही स्थित धूपबत्ती द्वारा आग पकने से यह हादसा हो गया। उपस्थित गवाहों के समक्ष अप्रार्थी की दुकान की जॉच करने पर दुकान में कुल ग्यारह घरेलू सिलेण्डर पॉच रबर पाईप, छब्बीस गैस चूल्हे की रोड (पाईप) पॉच गैस रिफिलर (गैस भरने के औजार) चौदह छोटे रेग्यूलेटर, (5 कि.ग्रा. सिलेण्डर वाले) एवं एक बजन तौलने का कांटा पाया गया। मौके पर अप्रार्थी से घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

क्रय विक्रय एवं भण्डारण करने बावत कोई लाइसेन्स, दस्तावेज, गैस कनेक्शन के कागजात आदि के बारे में पूछताछ एवं जानकारी की गयी। उक्त व्यक्ति द्वारा कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया और न ही घरेलू गैस सिलेण्डरों के विक्रय एवं भण्डारण बावत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जाकर द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) ओदश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर ग्यारह गैस सिलेण्डर (मय गैस) 5 रबर पाईप, 26 गैस चूल्हे की रोड (पाईप) 5 गैस रिफिलर (गैस भरने के औजार) 14 छोटे रेग्यूलेटर (5 कि. ग्रा. सिलेण्डर वाले) 1 बजन तौलने वाला कॉटा जो मौके पर जब्त सरकार किये गये। मौके पर जब्तशुदा सामग्री गैस सिलेण्डर का तौल श्री दशरथ सिहं कार्यकर्ता मैसर्स शिवेन गैस ऐजेन्सी एच. पी. सी. एल. को बुलवाकर किया गया तथा उक्त जब्त सामग्री को अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखने हेतु श्री दशरथ सिहं पुत्र श्री रविन्द्र सिहं ग्राम गुनपुर तहसील राजाखेड़ा हाल कार्यकर्ता मैसर्स शिवेन गैस सर्विस एच. पी. सी एल धूटकोट धौलपुर की सुर्पुदगी में दिया गया । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त शुदा राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के समबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी दिनांक 2.4.2019 को स्वंय उपस्थित हुआ तथा नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी के प्रकरण में कोई गैस सिलेण्डर जब्त नहीं हुये । अप्रार्थी ने कभी भी कोई सुपुर्दगी बावत कोई प्रार्थना पत्र सिलेण्डर लेने बावत नहीं लगाया क्योंकि अप्रार्थी से कोई गैस सिलेण्डर जब्त ही नहीं हुये । यदि कोई गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के जब्त होना बताये गये हैं तो उन सिलेण्डरों को राजसात करने में अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है।

दिनांक 8.4.2019, 23.4.2019 एवं 29.4.2019 को नियत तारीखों पर अप्रार्थी अनुपस्थित रहा ना ही उसकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित हुआ ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौका फर्द की प्रमाणित प्रति, फर्द अधिग्रहण, सुपुर्दगीनामा की प्रति पेश की ।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी की बहस सुनी गई। विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 3.3.2019 को लाल बाजार धौलपुर स्थिति किसी दुकान में सिलेण्डर से आग लग गई है। प्रार्थी व प्रवर्तन निरीक्षक सैपऊ लाल बाजार धौलपुर स्थित अप्रार्थी की दुकान पर पहुँचे। मौके पर दुकान खुली हुई पायी गई तथा दुकानदार एवं अन्य लोग उपस्थित मिले। पूछताछ एवं जॉच में उपस्थित लोगों ने बताया कि दुकानदार अप्रार्थी द्वारा एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस रिफिलिंग करते वक्त दुकान में आग लग गई जिसके कारण हादसा घटित हुआ। उपस्थित गवाहों के समक्ष अप्रार्थी की दुकान की जॉच करने पर दुकान में कुल ग्यारह घरेलू गैस सिलेण्डर

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

(84.5 कि.ग्रा.गैस) पॉच रबर पाईप, छब्बीस गैस चूल्हे की रोड (पाईप) पॉच गैस रिफिलर (गैस भरने के औजार) चौदह छोटे रेग्यूलेटर, (5 कि.ग्रा. सिलेण्डर वाले) एवं एक बजन तौलने का कांटा पाया गया। मौके पर अप्रार्थी से घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से क्रय विक्रय एवं भण्डारण करने बावत कोई लाइसेन्स, दस्तावेज, गैस कनेक्शन के कागजात आदि के बारे में पूछताछ एवं जानकारी की गयी। अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया और न ही घरेलू गैस सिलेण्डरों के विक्रय एवं भण्डारण बावत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जाकर द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) ओदश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर ग्यारह गैस सिलेण्डर (मय गैस 84.5 कि.ग्रा.) 5 रबर पाईप, 26 गैस चूल्हे की रोड (पाईप) 5 गैस रिफिलर (गैस भरने के औजार) 14 छोटे रेग्यूलेटर (5 कि. ग्रा. सिलेण्डर वाले) 1 बजन तौलने वाला कॉटा जो मौके पर जब्त सरकार किये गये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त शुदा राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया । मौके पर दुकान खुली हुई पायी गई तथा दुकानदार एवं अन्य लोग उपस्थित मिले। दौराने पूछताछ एवं जॉच उपस्थित लोगों ने बताया कि दुकानदार अप्रार्थी द्वारा एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस रिफिलिंग करते वक्त दुकान में आग लग गई जिसके कारण हादसा घटित हुआ। प्रार्थी ने उपस्थित गवाहों के समक्ष अप्रार्थी की दुकान की जॉच की । जॉच में कुल ग्यारह घरेलू गैस सिलेण्डर पॉच रबर पाईप, छब्बीस गैस चूल्हे की रोड (पाईप) पॉच गैस रिफिलर (गैस भरने के औजार) चौदह छोटे रेग्यूलेटर, (5 कि.ग्रा. सिलेण्डर वाले) एवं एक बजन तौलने का कांटा पाया गया। अप्रार्थी के पास घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से क्रय विक्रय एवं भण्डारण करने बावत कोई लाइसेन्स, दस्तावेज, गैस कनेक्शन के कागजात नहीं पाये गये । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जाकर द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) ओदश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6–7 का उल्लघंन होना सिद्ध पाया जाता है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है। अप्रार्थी बिना लाईसैन्स एवं सुरक्षा मे दुकान में अवैध रूप से गैस सिलेण्डर रखता है। दुकान में यदि कोई बडा हादसा हो जाता तो दुकान के आस पास के दुकानदारों /मकान मालिकों को जन एवं धन हानि होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं । अप्रार्थी का यह कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल ग्यारह घरेलू गैस सिलेण्डर (मय 84.5 कि.ग्राम) पॉच रबर पाईप, छब्बीस गैस चूल्हे की रोड (पाईप) पॉच गैस रिफिलर (गैस भरने के औजार) चौदह छोटे रेग्यूलेटर, (5 कि.ग्रा. सिलेण्डर वाले) एवं एक बजन तौलने का कांटा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। थाना अधिकारी थाना कोतवाली धौलपुर व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 30.4.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)